

संवधान में समाजवादी और पंथनरिपेक्ष शब्दों पर बहस

प्रलिस के लयः

भारत के संवधान की प्रस्तावना, 42वाँ संशोधन अधनियम, 1976, आपातकाल

मेन्स के लयः

संवधान में समाजवादी और पंथनरिपेक्ष शब्दों पर बहस

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कुछ लोकसभा सदस्यों ने दावा कया है क भारत के संवधान की प्रस्तावना की नई प्रतयों में "समाजवादी" और "पंथनरिपेक्ष" शब्द हटा दय गए हैं।

- हमें यह मालूम होना चाहय कये दो शब्द मूल प्रस्तावना का हससा नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदरि गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान [संवधान \(42वाँ संशोधन\) अधनियम, 1976](#) द्वारा संवधान में जोड़ा गया था।

भारतीय संवधान की प्रस्तावना:

परचयः

- प्रत्येक संवधान का एक दर्शन होता है। भारतीय संवधान में अंतरनहिति दर्शन को उद्देश्य संकल्प (Objectives Resolution) में संक्षेपति कया गया था, जस 22 जनवरी, 1947 को संवधान सभा द्वारा अपनाया गया था।
- संवधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प में नहिति आदर्श की वयाख्या करती है।
- यह संवधान के परचय के रूप में कार्य करता है और इसमें इसके मूल सद्धांत और उद्देश्य शामिल हैं।

वर्ष 1950 में लागू की गई प्रस्तावना:

- हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लय तथा उसके समस्त नागरकों को:
 - सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
 - वचिर, अभवियक्ति, वशवास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
 - प्रतषिठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लय तथा
 - उन सब में, वयक्ति की गरमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनश्चिति कराने वाली, बंधुता बढ़ाने के लय,
- दृढ़ संकल्पति होकर अपनी इस संवधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ईस्वी (मति भारगशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हज़ार छह वकिरमी) को एतद् द्वारा इस संवधान को अंगीकृत, अधनियमति और आत्मारपति करते हैं।

समाजवादी और धर्मनरिपेक्ष शब्दों का समावेश:

- प्रधानमंत्री इंदरि गांधी की सरकार के समय आपातकाल की अवधि के दौरान संवधान (42वाँ संशोधन) अधनियम, 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में "समाजवादी" और "पंथनरिपेक्ष" शब्द जोड़े गए थे।
 - "समाजवादी" शब्द को शामिल करने का उद्देश्य भारतीय राज्य द्वारा लक्ष्य और दर्शन के रूप में समाजवाद पर बल देना था, जसमें गरीबी उन्मूलन तथा समाजवाद का एक अनूठा रूप अपनाने पर ध्यान केंद्रति कया गया था जसमें केवल वशिष्ट एवं आवश्यक क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण शामिल था।
 - "पंथनरिपेक्ष" को शामिल करने से एक पंथनरिपेक्ष राज्य के वचिर को बल मला, जसमें सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, तटस्थता बनाए रखने को प्रोत्साहति कया गया और कसी वशिष धर्म को राज्य धर्म के रूप में समर्थन नहीं दया गया।

प्रस्तावना से समाजवादी और पंथनरिपेक्ष शब्दों को हटाने पर बहस का कारण:

- **राजनीतिक विचारधारा और प्रतनिधित्व:**
 - इन शब्दों को हटाने की वकालत करने वालों का तर्क है कि "समाजवादी" और "पंथनरिपेक्ष" शब्द वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान शामिल किये गए थे।
 - उनका मानना है कि यह एक विशेष राजनीतिक विचारधारा देने जाने जैसा है और यह प्रतनिधित्व और लोकतांत्रिक नरिणय लेने के सिद्धांतों के खिलाफ है।
- **मूल आशय और संविधान का दर्शन:**
 - आलोचकों का तर्क है कि वर्ष 1950 में अपनाई गई मूल प्रस्तावना में ये शब्द शामिल नहीं थे। वे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि संविधान के दर्शन में पहले से ही समाजवाद और पंथनरिपेक्षता का स्पष्ट उल्लेख किये बिना न्याय, समानता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे के विचार शामिल हैं।
 - उनका तर्क है कि ये मूल्य हमेशा संविधान में नहिंति थे।
- **गलत व्याख्या किये जाने पर चिंता:**
 - कुछ आलोचकों ने चिंता व्यक्त की है कि "समाजवादी" और "पंथनरिपेक्ष" शब्दों की गलत व्याख्या या दुरुपयोग किये जा सकता है, जिससे संभावित रूप से ऐसी नीतियों के नरिमाण और गतिविधियाँ होंगी जो उनके मूल इरादे से भटक जाएंगे।
 - वे प्रस्तावना में अधिक तटस्थ और लचीले दृष्टिकोण का तर्क देते हैं।
- **सामाजिक नहिंतिार्थ:**
 - इन शब्दों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का सार्वजनिक नीति, शासन और सामाजिक वमिर्श पर प्रभाव पड़ सकता है।
 - धार्मिक विविधता वाले देश में "पंथनरिपेक्ष" शब्द विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, और इसके हटने से धार्मिक तटस्थता के प्रतारिज्य की प्रतबिद्धता को लेकर चिंताएँ बढ़ सकती हैं।

आगे की राह

- प्रस्तावना में इन शर्तों के नहिंतिार्थ पर एक सुवज्ज तथा समावेशी सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा दें। इसमें विभिन्न दृष्टिकोणों और चिंताओं को समझने के लिये शिक्षा जगत, नागरिक समाज, राजनीतिक दलों एवं नागरिकों को शामिल किये जाना चाहिये।
- प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनरिपेक्ष" शब्दों के महत्त्व, व्याख्या और ऐतिहासिक संदर्भ पर विचार-वमिर्श करने के लिये संसद जैसे संवैधानिक नकियाँ के भीतर एक संरचित बहस की सुविधा प्रदान करें। किसी भी संभावित संशोधन के नहिंतिार्थों का विश्लेषण करने के लिये गहन चर्चा को प्रोत्साहित करें।
- प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनरिपेक्ष" शब्दों के ऐतिहासिक संदर्भ, संवैधानिक दर्शन तथा कानूनी नहिंतिार्थ का अध्ययन करने के लिये संवैधानिक विशेषज्ञों, कानूनी विद्वानों, इतिहासकारों एवं समाजशास्त्रियों की एक स्वतंत्र समिति की स्थापना करें। उनके द्वारा दिये गए नषिकर्ष बहुमूल्य अंतरदृष्टि प्रदान कर सकते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? (2021)

- (a) एक लोकतांत्रिक गणराज्य
- (b) एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य
- (c) एक संप्रभु धर्मनरिपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य
- (d) एक संप्रभु समाजवादी धर्मनरिपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य

उत्तर: B